संख्या- 12/2020/407/63-व0उ0-2020-57(एच)/2019

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
3- आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2020

विषय:- ''उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी-2017'' के अन्तर्गत अनुमन्य पूँजीगत उपादान सुविधा के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एंव पूंजी निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 अधिसूचना सं0-236/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है तथा शासन के पत्र सं0-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंन्टिग पांलिसी-2017 की क्रियान्वयन योजना का शासनादेश निर्गत किया गया है।

टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 के प्रस्तर 3.5.4 एवं क्रियान्वयन योजना के उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.5 में वर्णित घटक पूँजीगत उपादान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पत्र संख्या-293/63व0उ0-2020-57(एच)/2019 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 तथा प्रस्तर-4.1 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए निर्गत किये जा रहे हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | वित्तीय सहायता का विवरण | |
| 1.1 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, वृहत, मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रम हेतु अनुमन्य पूँजीगत उपादान | 1. वस्त्र उद्योग और गारमेन्टिंग इकाई को प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति निम्न सीमा के अनुसार आगणित की जायेगी:- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| लागत स्तर | प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु0 में) | अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा | उपादान की सीमा (करोड़ रु0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| प्रथम | <=10 | 50 | 2 |
| द्वितीय | >10 but <=50 | 200 | 10 |
| तृतीय | >50 but <=100 | 300 | 20 |
| चतुर्थ | >100 but <=200 | 500 | 40 |
| पंचम | >200 | 1000 | 100 |

1.2 रेशम रीलिंग इकाईयों हेतु पूँजीगत उपादान

I. रू0 01 करोड़ या अधिक पूंजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयों को 20 प्रतिशत पूँजीगत उपादान दिया जायेगा, यह उपादान भारत सरकार की संस्थाओं यथा सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त होगा।

1.3 पूँजीगत उपादान से सन्दर्भित शब्दावलियों का अभिप्राय

I. प्लान्ट एवं मशीनरी:- ''प्लाण्ट एवं मशीनरी'' के अर्न्तगत पात्र नये प्लाण्ट एवं मशीनरी/यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंग सेट, ब्वांयलर, कैप्टिव पांवर प्लाण्ट, डाईज एण्ड मोल्ड्स, सौर उर्जा संयंत्र तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से हे जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

II. प्रोजेक्ट लागत:- पात्र निवेश की अवधि के भीतर स्थायी पूंजीगत निवेश (Fixed capital investment) (भूमि, बिल्डिंग, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व विविध स्थायी निर्माण) में व्यय धनराशि को प्रोजेक्ट लागत के रूप में आगणित किया जायेगा।

2 प्रोजेक्ट लागत स्तर का निर्धारण

प्रस्तर-1 के अन्तर्गत तालिका के कालम-1 में वर्णित लागत स्तर का निर्धारण इकाई की प्रोजेक्ट लागत एवं रोजगार सृजन के आधार पर निम्नवत् रीति से किया जायेगा, में निम्न संशोधन किया जा रहा है:-

| पूर्व की शर्ते | संशोधित शर्ते |
|---|---|
| a. यदि प्रोजेक्ट लागत के अनुसार इकाई का अनन्तिम लागत स्तर तथा रोजगार सृजन के अनुसार इकाई का अनन्तिम लागत स्तर भिन्न-भिन्न हों तो उस स्थिति में अपेक्षाकृत लघु स्तर को इकाई | a. यदि प्रोजेक्ट लागत के अनुसार इकाई का अनन्तिम लागत स्तर तथा रोजगार सृजन के अनुसार इकाई का अनन्तिम लागत स्तर भिन्न-भिन्न हों तो उस स्थिति में |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | |
|---|---|
| का लागत स्तर माना जायेगा। | अपेक्षाकृत उच्च स्तर को इकाई का लागत स्तर माना जायेगा। |
| b. उदाहरणार्थ:- यदि इकाई की प्रोजेक्ट लागत रु0 200 करोड़ से अधिक (लागत स्तर-पंचम) है तथा रोजगार सृजन 200 (लागत स्तर-द्वितीय) है। ऐसी स्थिति में इकाई का लागत स्तर द्वितीय माना जायेगा। | b. उदाहरणार्थ:- यदि इकाई की प्रोजेक्ट लागत रु0 200 करोड़ से अधिक (लागत स्तर-पंचम) है तथा रोजगार सृजन 200 (लागत स्तर-द्वितीय) है। ऐसी स्थिति में इकाई का लागत स्तर पंचम माना जायेगा। |

3 पात्रता की शर्तें

I. इकाई द्वारा वाणिज्यक उत्पादन 13 जुलाई 2017 को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ किया गया हों।
   a. सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाई को जारी उद्योग आधार प्रमाण-पत्र (B/C) में अंकित तिथि को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि माना जायेगा।
   b. वृहद, मेगा एवं सुपर मेगा इकाई के प्रकरण में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर मानी जायेगी।

II. प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 13-07-2014 से पूर्व का न हो। यदि बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेकर प्लांट एवं मशीनरी में निवेश किया गया है, तो ऋण की स्वीकृति एवं वितरण की तिथि 13.07.2014 अथवा उसके पश्चात की हों।

4 पूँजीगत उपादान की दावा धनराशि का निर्धारण

I. निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत वर्णित धनराशि में से जो भी धनराशि न्यूनतम होगी, उसके आधार पर दावा धनराशि का निर्धारण किया जायेगा:-
   a. इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी में व्यय धनराशि का 25 प्रतिशत।
   b. प्रस्तर-1 के अन्तर्गत तालिका के कालम-1 में वर्णित लागत स्तर के अनुसार निर्धारित उपादान धनराशि की अधिकतम सीमा तक (जो कालम-4 मे वर्णित है)

4.1 रोजगार सृजन सम्बन्धी निर्धारित मानक

I. वस्त्र इकाई द्वारा न्यूनतम 50 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया हो।

II. वस्त्र इकाई के श्रमिक ई0पी0एफ0 कार्यालय से पंजीकृत हों।

III. इकाई द्वारा श्रमिकों को वेतन उनके बैंक खातें में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित किया जा रहा हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

निम्न बिन्दु IV को विलोपित किया जाता है:-

IV. इकाई में कार्यरत ऐसे श्रमिक, जिन पर बिन्दु-II व बिन्दु- III में उल्लिखित दोनों ही शर्तें प्रभावी हों, उन्हें ही रोजगार सृजन की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

4.2 पूँजीगत उपादान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी मानक

I. पूँजीगत उपादान की धनराशि क्रय की गयी नई प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर ही देय होगी, पुरानी क्रय की गयी प्लान्ट एवं मशीनरी पर देय नहीं होगी।

**उक्त के स्थान पर अब निम्नवत किया जाता है:-**

I. पूँजीगत उपादान की धनराशि क्रय की गयी नई प्लान्ट एवं मशीनरी पर ही देय होगी, पुरानी क्रय की गयी प्लान्ट एवं मशीनरी पर देय नहीं होगी।

II. इकाई द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से टर्म लोन लेकर प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश करने की स्थिति में देय पूँजीगत उपादान की धनराशि टर्म लोन से सम्बन्धित बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। इससे इकाई को देय ब्याज का भार कम होगा।

5 पूँजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

I. पूँजीगत उपादान की सुविधा प्राप्त करने के लिए वस्त्र इकाईयों हेतु शासनादेश सं0- 344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 में प्रारूप-1, 2, 3 व 4 निर्धारित है। इन प्रारूपों पर पूँजीगत उपादान की सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधाओं हेतु भी आवेदन किया जा सकता है, जिनके लिए वह इकाई पात्र है।

II. प्रारूप-1 व 3 Letter of Comfort के आवेदन हेतु निर्धारित है तथा प्रारूप-2 व 4 वित्तीय सुविधाओं के वितरण के लिए आवेदन हेतु निर्धारित है।

a. प्रारूप-1 व 2 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद् इकाईयों हेतु निर्धारित है।

b. प्रारूप-3 व 4 मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों हेतु निर्धारित है।

III. इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

5.1 आवदेन हेतु संशोधित

I. प्रारूप-2/प्रारूप-4 के बिन्दु-6.3 में आवश्यक संशोधन किया गया

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप

है। पूँजीगत उपादान का दावा प्रस्तुत करने हेतु इकाई द्वारा संशोधित प्रारूप पर बिन्दु-6.1, 6.2. एवं 6.3 के अन्तर्गत अपेक्षित विवरण अंकित करते हुए सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे।

6. उपादान के स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया

I. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त आवेदन पत्र का भौतिक एंव वित्तीय सत्यापन कराकर परिक्षेत्र स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव अप्रेजल नोट के साथ संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

II. वित्तीय सुविधा का लाभ उन्हीं वस्त्र इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो। इस आशय का शपथ पत्र इकाई द्वारा दिया जायेगा।

III. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना:-

a. रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु:-

(1) सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी -सदस्य

(2) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- संयोजक

b. रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु:-

(1) सम्बन्धित सहायक निदेशक रेशम विकास विभाग - संयोजक

(2) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- सदस्य

IV. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के परीक्षण एवं संस्तुति के पश्चात उनकी संस्तुति सहित प्राप्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी की वस्त्र इकाइयों के दावा प्रस्तावों का मूल्यांकन/परीक्षण/अनुमोदन निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा।

V. राज्य स्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आयुक्त एवं निदेशक,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,उ0प्र0, कानपुर | अध्यक्ष |
| 2 | आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय,उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग | सदस्य |
| 3 | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर | सदस्य |
| 4 | प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर | सदस्य |
| 5 | निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | सदस्य |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 6 | प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर | |
| 7 | वित्त नियन्त्रक,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,उ0प्र0, कानपुर | सदस्य |
| 8 | संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0। | सदस्य |
| 9 | योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0। | संयोजक सदस्य |

VI. राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन/परीक्षण /अनुमोदन के बाद बैठक की कार्यवृत्त के साथ अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि की शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

VII. वृहद, मेगा, एवं सुपर मेगा श्रेणी की वस्त्रोद्योग इकाइयों हेतु नीति अर्न्तगत अनुमन्य सुविधाओं के शासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित शासकीय स्वीकृति समिति को सन्दर्भित किया जायेगा।

VIII. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित शासकीय स्वीकृति समिति की सदस्य संरचना निम्नवत् होगी:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2 | प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 3 | प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 5 | प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 6 | सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है | सदस्य |
| 7 | आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, | संयोजक |
| 8 | पी0एम0ए0 (यदि नामित हो) के पदाधिकारी, | सहसंयोजक सदस्य |

7. स्वीकृति धनराशि का भुगतान की प्रक्रिया

I. निदेशालय द्वारा स्वीकृत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की क्रियान्वयन योजना के अर्न्तगत बजट प्राविधान कराया जायेगा।

II. बजट प्राविधान के सापेक्ष निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शासन द्वारा इकाईयों हेतु निदेशालय के पक्ष में स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

III. शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त से इकाई का खाता, आई0एफ0 एस0सी0 कोड, अनुबन्ध पत्र मंगाकर प्रतिपूर्ति की धनराशि इकाई के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से सीधे भेजी जायेगी।

IV. इकाई द्वारा अपेक्षित ऋण के मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा।

8. बजट की व्यवस्था

I. हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुमानित मांग के अनुरुप शासन से बजट प्राविधान कराया जायेगा। जिसके आधार पर शासन द्वारा समय-समय पर निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

9. स्वीकृत पूँजीगत उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/ वसूली

I. निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाइयों को पूँजीगत उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

a. जब कोई वस्त्रोद्योग इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे।

b. जब किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर पूँजीगत उपादान प्राप्त किया गया हो।

10. इकाई द्वारा सूचना प्रस्तुत करना

योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था/निदेशालय स्तर से समय समय पर मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

11. अन्य

(1) नीति के अर्न्तगत अनुमन्य पूँजीगत उपादान क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलें प्राधिकृत संस्था/निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेगें।

(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वस्त्रोधोग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने, दिशा निर्देश में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार उसी स्तर पर होगा जिस स्तर से दिशा निर्देश अनुमोदित किये गये हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) विवाद होने की दशा में जिला न्यायालय कानपुर नगर में वाद दायर किया जायेगा।

2- उपरोक्त पूँजीगत उपादान के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश/प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2020/407 (1)/63-व0उ0-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, कानपुर ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
9- आयुक्त स्टाम्प/महानिदेषक निबंधक, उत्तर प्रदेश।
10- अधिषासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
12- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
13- गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

( पी0 के0 पाण्डेय )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।